''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तिसगढ्/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 जनवरी 2005— पौष 28, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2005

क्रमांक 467/21-अ/प्रारुपण/04.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-01-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

23; निर

की

्रतीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004

(क्र. 23 सन् 2004)

धाराए:

विषय-सूची

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
- 2- परिभाषाएं.
- 3- आयोग का गठन.
- 4- सदस्यों की नियुक्ति
- 5- निरहताएं.
- 6- आयोग के सदस्यों के निबंधन और शर्ते.
- 7- आकरिमक रिक्ति.
- 8- आयोग का मुख्यालय तथा सिमलन.
- 9- रिवित्त के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.
- 10- अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति.
- 11- संस्थाओं का रजिष्ट्रीकरण और उनके लेखाओं की संपरीक्षा.
- 12- आयोग का कृत्य.
- 13- आयोग की निधियां.
- 14- आयोग का बैंकर.
- 15- अभिलेख मंगाने की आयोग की शक्ति.
- 16- लेखे और संपरीक्षा.
- 17- वार्षिक रिपोर्ट .
- 18- आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही.
- 19- रिपोर्ट विवरणिया आदि मंगाने की राज्य सरकार की शक्ति.
- 20- राज्य सरकार के निर्देश
- 21- आयोग के सदस्य लोकसेवक होंगे.
- 22- सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.
- 23- नियम बनाने की शक्ति

छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004

ार राज्य में पशु परिरक्षण तथा कल्याण हेतु गैासेवा आयोग की स्थापना करने के लिये, संस्थाओं के ।ये पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिये तथा उससे संसक्त और अनुषांगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

ा भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष मे छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अ अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

1. 1.

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम 2004 है.
- (2) यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य मे प्रभावी होगा.
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिस दिनांक से यह राजपत्र में प्रकाशित होगा.

परिभाषांए.

इस अधिनियम मे, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) ''आयोग'' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग:
- (ख) "कृषिक पशु" से अभिप्रेत है गाय, सांड, बैल और बछड़ा, बिछया और पाड़ा-पड़िया, भैंस एवं भैंसे;
- (ग) 'अध्यक्ष' (चेयरपर्सन) से अभिप्रेत है आयोग का अध्यक्ष;
- (घ) "संस्था" से अभिप्रेत है कोई ऐसी पूर्व संस्था जो पशुओं के कल्याण में लगी हुई है, और पशुओं को रखने, उनके प्रजनन, पालन तथा रख रखाव या भरण पोषण करने के प्रयोजन के लिये या असक्त, बूढ़े और रोगी पशुओं को ग्रहण करने, उनका संरक्षण, देखभाल, प्रबंध तथा उपचार करने के प्रयोजन के लिये स्थापित की गई है और उसके अन्तर्गत आते है गौ—सदन, गौशाला, पिंजरापोल, गौरक्षण संस्था और उनके परिसंघ (फेडरशन) या संघ जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रिजस्ट्रीकृत है या अन्यथा है;
- (ड.) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य और उसके अन्तर्गत अध्यक्ष आता है.

आयोग का गठन राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के नाम से जाना जायेगा. आयोग अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्य से मिलकर बनेगा.

- (1) प्रदेन सदस्य-
 - (एक) कृषि उत्पादन आयुक्त,
 - (दो) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,
 - (तीन) संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं;
 - (चार) संचालक, कृषि,
 - (पांच) पंजीयक सहकारी संस्थाएं,
 - (छः) सचिव/अपर सचिव, कृषि (पशुपालन)
 - (सात) डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस,
 - (आठ) वित्त विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी जो उपसचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो.
 - (नौ) स्टेट बैंक का अधिकारी जो सहायक महाप्रबंधक के पद से कम का न हो.
 - (दस) अपर संचालक / संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं (सदस्य सचिव).

(ग्यारह) राज्य शासन द्वारा नामांकित पांच (अशासकीय) सदस्य, जिनकी पशुपालन में रूचि हो.

- (2) विशेष आमंत्रित सदस्यः आवश्यकतानुसार आयोग विशेष आमंत्रण द्वारा अधिकारियो / विशेषज्ञो को आमंत्रित कर सकता है.
- (3) राज्य सरकार, जिला एवं विकास खण्ड समितियाँ नियमानुसार गठित करेगी.

रादस्यो
की नियुक्ति

सदस्यों की नियुक्ति निम्नानुसार होगी.

- (1) राज्य सरकार आयोग, अध्यक्ष (चेयंरपर्सन) एवं सदस्यों की नियुक्ति करेगी.
- (2) आयोग का अध्यक्ष एवं प्रत्येक अशासकीय सदस्य नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेगा.

निरहंताएं

कोई भी व्यक्ति अशासकीय सदस्य के रूप मे नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, यदि वह—

- (क) भारत का नागरिक नही है;
- (ख) 21 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो ;
- (ग) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त न्यायनिर्णीत कर दिया गया है.

- (घ) नैतिक, अधमता अतर्वलित करने वाले किसी अपराध के लिये किसी न्यायालय द्वारा कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है :
- (ड) अवचार के कारण सरकार की सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और लोकसेवा में नियोजन के लिये निरर्हित घोषित कर दिया गया है, और
- (च) अनुन्मोचित दिवालिया है.

आयोग के के सदस्यों के नियुक्ति निबंधन और शर्ते

A ST IN AGE TO THE

- (1) अशासकीय सदस्यों को ऐसे भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाए.
- (2) कोई भी अशासकीय सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा.
- (3) राज्य सरकार अशासकीय सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा सकेगी यदि वह व्यक्ति—
 - (क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है:
 - (ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमे राज्य सरकार की राय मे नैतिक अधमता अंतर्वलित है, दोष सिद्ध और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है:
 - (ग) विकृत चित्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, करने से इंकार करता है या कार्य करने से असमर्थ हो जाता है ;
 - (घ) आयोग से अनुपरिथत रहने की अनुमती अभिप्राप्त किये बिना, आयोग के कमवर्ती तीन सम्मिलनों से अनुपरिथत रहता है ; या
 - (ड) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का इस प्रकार दुरूपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का उस पद पर बना रहना पशु के हित में या लोक हित में अपायकर हो गया है;

्र आकस्मिक रिक्ति

अपनी पदावधि का अवसान होने के पूर्व किसी अशासकीय सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने या उसके निरहिंत हो जाने की दशा मे या कार्य करने से उसके समर्थ हो जाने की दशा में ऐसे पद किसी व्यक्ति की सदस्य के रूप में नियुक्ति करके, यथा संभव शीघ्र भरी जाएगी और वह ऐसा पद अपने पूर्ववर्ती की अनवसित पदावधि के लिये धारण करेगा.

आयोग का मुख्यालय

8.

(1.) आयोग का मुख्यालय रायपुर होगा.

(2.) आयोग, वर्ष में कम से कम 2 बार सम्मिलन करेगा और वह अपनी कार्यवाहियों के अभिलेख एक कार्यवृत्त पुस्तिका में रखेगा.

नुख्यालय तथा राम्मिलन

(3.) आयोग के सम्मिलन अध्यक्ष द्वारा आयोजित किये जाएंगे जो, उस समय, जबकि वह उपस्थित है, ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष

की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करने के लिये निर्वाचित करेंगे.

9.
रिवित्त के
कारण
कार्यवाहियों
का अविधि—
—मान्य न होना

आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है.

10. अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति.

ऐसे नियमों के अध्यधीन रखते हुये, जो कि इस निमित्त बनाये जायें, राज्य सरकार, आयोग को इस अधिनियम के अधीन के अपने कृत्यों का दक्षता पूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिये, उतनें अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था कर सकेंगी जितने कि आवश्यक समझे जाएं.

11. संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और उनके संस्थाओं की संपरीक्षा

- (1.) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर प्रत्येक संस्था ऐसे प्रारंभ के तीन मास के भीतर इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिये आवेदन ऐसी रीति में तथा ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विशिष्ट करते हुये प्रस्तुत करेगी, जैसी कि विहित की जाएं,
 - (2.) आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न की जायेगी जैसे कि विहित की जाए.
 - (3.) आयोग ऐसी जांच के पश्चात जैसी कि वह ठीक समझे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप मे जारी करेगा जैसे कि विहित की जाए.
 - (4.) आयोग अपने यहां रिजस्ट्रीकृत संस्थाओं का एक रिजस्टर ऐसे प्रारूप में रखेगा जैसा कि विहित किया जाए.
 - (5.) उपधारा (4) के अधीन यथा विहित रिजस्टर में अभिलिखित किसी संस्था से संबंधित किन्ही विशिष्टियों में जब कभी कोई परिर्वतन होता है तो संस्था की ओर से कार्य करने के लिये न्यस्त व्यक्ति, ऐसे परिर्वतन की रिपोर्ट आयोग को देगा जो ऐसी जांच के पश्चात, जैसी कि वह ठीक समझे रिजस्टर में आवश्यक परिर्वतन करेगा.
 - (6.) ऐसी प्रत्येक संस्था के जो इस अधिनियम के अधीन रिजस्दीकृत की गई है लेखाओं को, प्रत्येक वर्ष इकतीस मार्च को संतुलित किया जाएगा और प्रतिवर्ष उसके लेखाओं की सपरीक्षा विहित रीति में की जाएगी.

आयोग के कृत्य

FF

आयोग का यह कृत्य होगा कि वह -

- (क) पशुओं को तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन दिये गये संरक्षण को सुनिश्चित करें, जिसमे कत्ल के लिये ले जाए जाने वाले, कत्ल के लिये या उसकी संभावना में ले जाए जाने या ढोए जाने वाले पशुओं की जप्ती, अभिरक्षा और आरोपियों के विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही करना भी समाविष्ट होगा.
- (ख) (एक) खण्ड (क) मे निर्दिष्ट विधियों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें। गौ–शाला विकास स्कीमों के अधिन राज्य सरकार के कार्यक्रमों को समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें;
- (ग) पशुओं की स्वदेशी, नस्ल के, विकास के लिए, संस्थाओं की सिक्य भागीदारी को सुनिष्टिचत करें ;
- (घ) पशुओं के स्वाख्य संबंधी देखभाल को प्रोन्नत करें :
- (ड) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के उल्लंघन अभिग्रहीत किए गए पश्ओं की देखभाल तथा प्रबंध को सुनिश्चित करें;
- (च) किसी संस्था द्वारा भरण—पोषण के लिये रखे गये अशक्त तथा बूढे पशुओं के समृचित प्रबंध को सुनिश्चित करें.
- (छ) संस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करें ;
- (ज) चारे की उन्नत किस्म की खेती, चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा वारागाह विकास गतिविधियों को प्रोन्नत करें
- (झ) कृषि विश्व विद्यालयों तथा पशु तथा चारा विकास कार्यक्रम पर कार्यवाहीं करने वाले अन्य अनुसंधान संस्थाओं से समन्वय करें और नई वैज्ञानिक तकनीक अपनाने में संस्थाओं की सिक्य भागीदारी सुनिश्चित करें.
- (य) ऐसे उपायों को सुझाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर संस्थाओं को सशक्त
- (ट) संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करें.
- (ठ) किसी संस्था के कार्यकलापों के संबंध मे शिकायतों की जांच करे.
- (ड) ऐसे अन्य कृत्यों का, जैसे कि उसे राज्य सरकार द्वारा अनुदेशित किये जाए, पालन करें:
- (ढ़) ऐसे कृषि—पशु कल्याण अधिकारी नियुक्त करें जो नवीन छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 के कियान्वयन में कार्य और कार्यवाही करेंगे जिसमें कृषिक पशुओं को रोकना, खोजना, वाहनों को रोकना, खोजना, कृषिक पशुओं को जप्त करना , अभिरक्षा करना और अभियोजन की कार्यवाही करना भी समाविष्ठ होगा.

(ण) जप्त कृषिक पशुओं की अभिरक्षा, अभियोजन कार्यवाही के निराकरण तक, निकटतम गौ—शाला, गौ—सदन या गौरक्षक संस्था या व्यक्ति को सुपुर्द करें

· 13. आयोग की निधियां.

आयोग की निधि सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों और आयोग द्वारा प्राप्त फीसों तथा अधिरोपित शास्तियां, किसी व्यक्ति द्वारा आयोग को दिये गये दान, उपहार से मिलकर बनेगी

14. आयोग का . बैंकर.

आयोग की समस्त निधिया किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे रखी जाएगी और ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कि आयोग द्वारा प्राधिकृत किये जाए, संचालित की जाएगी.

15.
अभिलेख मंगाने
की आयोग की
शक्ति.

इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये स्वयं को समर्थ बनने के लिये आयोग राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा किसी निकाय या प्राधिकारी या किसी संस्था से जानकारी या रिपोर्ट मंगा सकेगा और यथास्थिति, वह विभाग या निकाय या प्राधिकारी या संस्था यथासाध्य शीघ्रता से आयोग की अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा.

16. लेखे और संपरिक्षा

- (1.) आयोग समुचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसा कि विहित किया जाए.
- (2.) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा महालेखांकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर को जाएगी जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्टि किए जाए और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में हुआ कोई व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा.
- (3.) महालेखाकार और उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध मे नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध मे वहीं अधिकार तथा विशेषाधिकार होंगे और वहीं प्राधिकार होंगा जो सामान्यतया महालेखाकार को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के 'संबंध में होते है और विशिष्टत्या पुस्तकों, लेखाओं, संबद्ध व्हाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज—पत्रों को मांगे जाने पर पेश करने और आयोग के कार्यालय में से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

17.

वार्षिक रिर्पोट.

आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप मे,जो कि विहित की जाए अपनी वार्षिक रिभोर्ट तैयार करेगा जिसमे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्य कलापों का संपूर्ण लेखा—जोखा दिया जाएगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.

18. आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही

- (1) धारा 17 के अधीन बनाई वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, उस पर ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जैसी कि वह ठीक समझे.
- (2) राज्य सरकार को की गई रिपोर्ट की एक प्रति और उसके साथ उस पर राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन की गई कार्यवाही की रिपोर्ट, विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी

19.

रिपोर्ट विवरणियां

आदि मंगाने की

राज्य सरकार
की शवित.

राज्य सरकार आयोग से ऐसी रिपोर्ट, विवरणिया, विवरण, समय-समय पर मंगा सकेगी जो कि वह आवश्यक समझे.

20. राज्य सरकार के निर्देश

- (1) आयोग इस अधिनियम के अधीन के अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, नीति संबंधी प्रश्न पर ऐसे निर्देशों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा जो कि राज्य सरकार द्वारा उसे दिये जाए.
- (2) यदि राज्य सरकार और आयोग के बीच इस संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है कि क्या कोई प्रश्न नीति विषयक प्रश्न है या नहीं, तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चिय अंतिम होगा.

21. आयोग के सदस्य लोक संवक होंगे.

आयोग के समस्त सदस्य तथा अधिकारी, जबिक वे इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या उनका इस प्रकार कार्य करना तात्पर्यित है, भारतीय दण्ड सहिंता 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

22. सदभाव पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध नहीं होगी. 23;

नियम बानाने की शक्ति.

- (1) राज्य संरकार, साधरणतया इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेंगी.
- (2) और विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नेलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे अर्थात—
 - (क) आयोग के कर्मचारी की सेवा के निबंधन तथा शर्ते,
 - (ख) आयोग के सदस्यों को संदाय किये जा सकने वाले भत्ते,
 - (ग) वह रीति जिसमे संस्थाओं का रजिस्दीकरण किया जाएगा,
 - (घ) वह रीति जिसमें तथा वह प्राधिकारी जो आयोग की निधि का संचालन करेगा.
 - (ड.) वह रीति जिसमे आयोग द्वारा शिकायतो को ग्रहण किया जाएगा तथा जांच करने का ढंग,
 - (च) वह प्रारूप तथ रीति जिसमे तथा वह समय जिसके भीतर आयोग द्वारा रिर्पोट प्रस्तुत की जाएगी
 - (छ) वह फीस जिसका भुगतान किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा तथा वह प्रारूप जिसमे रजिष्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.
 - (ज) जिला एवं खण्ड स्तरीय समितियों का गठन.
 - (झ) अन्य विषय जो इस अनुभाग में विशेष रूप से उललेखित नहीं किया गया है।
 - (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2005

क्रमांक 467/21-अ/प्रारुपण/04.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ गीसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेंशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

THE CHHATTISGARH GOSEVA AYOG ACT, 2004 (No.23 of 2004)

TABLE OF CONTENTS.

Sections:

- 1. Short title and commencement
- 2. Definitions
- Constitution of Ayog.
- 4. Members to be nominated by the State Government.
- Disqualifications.
- 6. Terms and conditions of Appointment of members of Ayog.
- Casual vacancy.
- 8. Headquarter and meetings of the Ayog.
- 9. Vacancy not to invalidated proceeding.
- 10. Appointment of Officers and other employees.
- 11. Registration of Institutions and audit of their accounts.
- 12. Functions of the Ayog.
- 13. Funds of the Ayog.
- 14. Banker of the Ayog.
- 15. Power of the Ayog to call for records.
- 16. Accounts and audit.
- 17. Annual Report.
- 18. Action on Ayog's report.
- 19. Power of the State Government to call for reports, returns, etc.
- 20. Directions of the State Government.
- 21. Members of the Ayog to the public servants.
- 22. Protection of action taken in good faith.
- 23. Power to make rules.

THE CHHATTISGARH GOSEVA AYOG ACT, 2004 (No.23 of 2004)

An Act to establish a Goseva Ayog for the preservation and welfare of cattle in the State, for supervision and control of institutions and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifity - fifith Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commence ment

- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Goseva Ayog Act, 2004.
- (2) It extends to the whole of the state of Chhattishgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definations

In this Act unless the context otherwise requires -

- (a) "Ayog" means the Chhattisgarh Goseva Ayog established under Section -3;
- (b) "Agriculture Cattle" means cows of all ages, calves of cows and of she buffaloes, bulls, bullocks, male and female buffaloes;
- (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Ayog;
- (d) "Institution" means any charitable institution engaged in cattle welfare and established for the purpose of keeping, breeding, rearing and maintaining cattle or for the purpose of reception, protection, care, management and treatment of infirm, aged and diseased cattle and includes Gosadan, Goshala, Pinjrapole, Gorakshan Sansthan and their Federation or Union registered under any enactment for the time being in force or otherwise;
- (e) "Member" means a member of the Ayog or its committee and includes the Chairperson.

The State Government shall constitute a body to be known as the Goseva Ayog. The Ayog shall consists of the Chairperson and the following members,:-

3.Constitution of Ayog

- 1. Ex-officio members.-
- (i) Agriculture Production Commissioner.
- (ii). Secretary, Rural Development Department;
- (iii). Director, Veterinary Services;
- (iv). Director, Agriculture;
- (v) Registrar, Co-operative Societies
- (vi) Secretary/Additional Secretary, Agriculture (Veterinary)
- (vii) Director General of Police,

- (viii) An Officer to be nominated by Finance Department not below the rank of Deputy Secretary;
- (ix) An Officer of State Bank of India not below the rank of Asstt. General Manager;
- (x) Additional Director /Joint Director of Veterinary Services, who shall also be the Secretary of the Ayog;
- (xi) Five non official members to be nominated by the State Government preferably from persons having interest in cattle welfare;
- The Ayog may invite officers or expert as special invities as and when necessary.
- The State Government may constitute ditrict and block level committees as may be prescribed under rules.

Members to be nominated by the State Government

- (1). The State Government shall appoint Chairperson and Members of the Ayog.
- (2) Chairperson and non-official member of the Ayog shall hold office for a period of three years from the date of the appointment.

5 Disqualification

No person shall be eligible for appointment as a non-official member if he-

- (a) is not a citizen of India;
- (b) has not attained the age of twenty one years;
- (c) has been adjudged by a Competent Court to be of unsound mind;
- (d) has been sentenced by any court to imprisonment for an offence involving moral turpitude;
- (e) has been dismissed from the service of the Government for misconduct and has been declared to be disqualified for employment in public service; and
- (f) is an undischarged insolvent.
- 6. Jerms and conditions of appointment of members of the Ayog
- (1) There shall be paid to the non-official members such allowances as may be prescribed.
- (2) A non official member may resign his office in writing under his hand addressed to the State Government.
- (3) The State Government shall remove a member from the office of non official member if he:
 - (a). becomes an undischarged insolvent;
 - (b) is convicted for an offence, which, involves moral inspitude:
 - is declared unsound mind by Competent Court;
 - (d) remains without obtaining leave of absence from the Ayog, remains absent from three constitutive meetings; or
 - (c) has, in the opinion of the State Government so abused the position of Chairperson or Members as to render that person to continue in office being detrimental to the interests of cattle or the public interest:

7. Casnal

Vacancy.

In the event of death, resignation or disqualification of a non-official member or of his becoming in capable of acting before the expiry of his term of office, a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled as early as possible by appointment of a person thereto as member who shall hold office for the unexpired term

- 8. Headquarter and meetings of the
 - meetings of the

Ayog

- Vacancy not to Invalidated proceedings.
- 10. Appointment of officers and others employees
- 11. Registration of Institutions and audit of their accounts.

- (1) The Headquarter of the Ayog shall be at Raipur.
- (2) The Ayog shall hold meetings at least twice in a year and shall keep record of its proceedings.
- (3) The meetings of the Ayog shall be convened by the Chairperson who shall, preside the meeting and in the absence of the Chairperson, the members present shall elect one from amongst themselves to preside.

No Act or proceeding of the Ayog shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Ayog.

Subject to such rules as may be made in this behalf, the State Government may, for the purpose of enabling the Ayog to efficiently discharge its functions under this Act, provide such number of officers and other employees as may be necessary.

- (1) On the commencement of this Act every institution shall within 3 months submit an application for registration under this Act in such manner as may be prescribed.
- (2) The application shall be accompanied by such fees as may be prescribed.
- (3) The Ayog shall after such enquiry as it deems fit issue a certificate of registration in such form as may be prescribed.
- (4) The Ayog shall maintain a register of institution registered with it in such form as m be prescribed.
- (5) Whenever any change occurs in any of the particulars relating to any institution recorded in the register as prescribed under sub-section(4), the person entrusted to act on behalf of the institution shall report the change to the Ayog which shall after such enquiry as it deems fit make the necessary changes in the register.
- (6) The accounts of every institution, which has been registered under this Act, shall, be prepaired each year on the thirty first day of March and its accounts shall be audited annually in the prescribed manner.

Ayog

The Ayog shall perform the following functions:

- (a) To ensure the protection afforded to cattle under any law for the time being in force including seizure and custody of the cattle being carried for slaughtering or likely to be slaughtered in contravention of any law in force and to initiate criminal action against accused persons.
- (b) To ensure -
 - (i) Proper and timely implementation of the laws referred to in clause (a) and to propose remedial measures regarding the implementation of programmes of the State Government under Goshala." Development Schemes.
- (c) to ensure active participation of the institutions in the development of indigenous breeds of cattle
- (d) to promote health care of cattle;
- (e) to ensure care and management of cattle seized in violation of any enactment for the time being in force;
- (f) to ensure proper management and care of infirm and aged cattle maintained by any institution.
- (g) to supervise and inspect the institutions;
- (h) to promote cultivation of improved variety of fodder-seed production programmes and pasture develop ment activities;
- to co-ordinate with Agriculture Universities and other Research Institutions dealing with cattle and forder development programmes and to ensure active participation of the institutions to adopt new scientific technology;
- to suggest such measures which may be helpful in strengthening of the institutions which are economically weak;
- (k) to give financial assistance to the institutions;
- (l) to enquire into complaints in the functioning of any institution;
- (m) to perform such other functions as may be assigned by the State Government.
- (n) to appoint such Agricultural Cattle Welfare Officers who shall work for implementation of newly formed Chlastitisgarh Agricultural Cattle Preservation Act 2004, to take action including detention and search of agricultural cattle, detention and search of vehicles, seizure of agricultural cattle and to take cattle into custody and initiate prosecution;
- (o) to take custody of the agricultural cattle seized and to entrust them to the nearest Goshala, Gosadan or any Cattle Protection institution or to any person pending the disposal of the prosecution proceedings.

13. Funds of the Avog The funds of the Ayog shall consist of grants made by the Government, fees raised, penalties imposed by it donations, gifts.

11 Banker of the Ayog All funds of the Ayog, shall be kept in a Nationalized bank and shall be operated by the official as may be authorised by the Ayog.

15. Power of the Ayog to call for records. In order to enable the Ayog to perform the functions under this Act, the Ayog may call for information or report from any department of the State Government or any body or authority or any institution and the Department or body or authority or the institution.

- 16. Accounts and audit.
- (1) The Ayog shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.
- (2) The accounts of the Ayog shall be audited by the Accountant General at such intervals as may be specified by him and any expenditure in connection with such audit shall be payable by the Ayog to the Accountant General.
- (3) The Accountant General and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Ayog under this Act shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Accountant General generally has in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected youthers and other documents and papers and to inspect any of the offices of Ayog.
- 17. Annual Report

The Ayog shall prepare, in such form for each financial year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

- 18. Action on Ayog's Reports
- (1) Upon receipt of annual report made under section 17, the State Government may take such action as deemed fit.
- (2) A copy of the report made to the State Government together with a report of the action taken thereon by the state Government under sub-section (1) shall be laid on the table of the Legislative Assembly.
- 19. Power of the State Govtnment to call for reports, returns, etc.

The State Government may call for such reports, returns, and statements from the Ayog from time to time as it consider necessary.

- 20 Directions of the State Government
- (1) In the discharge of its functions under this Act, Ayog shall be guided by such directions on the question of policy as may be given by the State Government.
- (2) If any dispute arises between the State Government and the Ayog as to whether a question or is not a question of policy, the decision of the State Government shall be final.

- 21 Members of Ayog to be public servants.
- All members and officers of the Ayog shall be deemed, while acting or purporting to act, in pursu ance of any provisions of this Act, to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

22. Protection of action taken in good faith No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any member, officer or servant of the Ayog for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act.

- 23. Power to make rules.
- (1) The State Government may make rules generally for carrying out the provisions of this
- and in particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
- (a) terms and conditions of service of employees of the Ayog;
- (b) allowances which may be paid to members of the Ayog;
- (c) the manner in which the institutions shall be registered;
- (d) the manner in which and the authority which shall operate the funds of the Ayog;
- (e) the manner in which complaints shall be entertained by the Ayog and mode of enquiry;
- (f) the form and manner in which and the time within which the reports are to be submitted by Ayog;
- (g) the fee on the payment of which the registration shall be made and the form in which registration certificate shall be issued.
- (h) to constitute district and block level committee.
- (i) any other matter not specifically covered under this section.
- (3) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 459]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2016— पौष 3, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12643/डी. 283/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 19-12-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 37 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004) में संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सङ्सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1.

2.

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा 2 का संशोधन.
- (एक) छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात्:-
 - "(ग-1) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है आयोग का उपाध्यक्ष."
- (दो) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द "एवं उपाध्यक्ष" जोड़ा जाये.
- धारा 3 का संशोधन.
- 3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द "एवं उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किया जाये.
- धारा 4 का संशोधन.
- 4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,-
 - (एक) उप-धारा (1) में, शब्द "अध्यक्ष (चेयरपर्सन)" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह ",उपाध्यक्ष (वाइस चेयरपर्सन)" अन्त:स्थापित किया जाये.
 - (दो) उप-धारा (2) में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह ",उपाध्यक्ष "अन्त:स्थापित किया जाये.
- धारा 6 का संशोधन.
- 5. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (ङ) में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह ",उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किया जाये.
- धारा 8 का संशोधन.
- 6. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
 - "(3) आयोग की बैठकें, अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी, जो बैठक की अध्यक्षता करेगा एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष बैठक आहूत करेगा एवं उसकी अध्यक्षता करेगा."

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12643/डी. 283/21-अ/प्रारू./छ. ग./16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-12-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 37 of 2016)

THE CHHATTISGARH GOSEVA AYOG (AMENDMENT) ACT, 2016

An Act to amend the Chhattisgarh Goseva Aayog Act, 2004 (No. 23 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

Property Legisland				
1.	(1)	This Act may be called the Chhattisgarh Goseva Ayog (Amendment) Act, 2016.	Short title, and commence	
	(2)	It extends to the whole State of Chhattisgarh.		
	(3)	It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.		
2.	(i)	After clause (c) of Section 2 of the Chhattisgarh Goseva Ayog Act, 2004 (No. 23 of 2004), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely:-	Amendment Section 2.	of
		"(c-1) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Ayog."		
	(ii)	In clause (e) of Section 2 of the Principal Act, after the word "Chairperson" the words "and Vice-Chairperson" shall be added.		
3.		In Section 3 of the Principal Act, after the word "Chairperson" the words "and Vice-Chairperson" shall be inserted. Amendment Section 3.		
4.	In Section 4 of the Principal Act,-		Amendment Section 4.	of
	(i)	in sub-section (1), after the word "Chairperson" the words and symbol ", Vice-Chairperson" shall be inserted.		
	(ii)	in sub-section (2), after the word "Chairperson" the words and symbol ", Vice-Chairperson" shall be inserted.		
5,	In clause (e) of sub-section (3) of Section 6 of the Principal Act, after the word "Chairperson" the words and symbol ", Vice-Chairperson" shall be inserted. Amendment Section 6.			of
6.		o-section (3) of Section 8 of the Principal Act, the following shall be uted, namely:-	Amendment Section 8.	of
	"(3)	The meetings of the Ayog shall be convened by the Chairperson who shall preside the meeting and in the absence of the Chairperson, the Vice-		

Chairperson shall convey and preside the meeting."